दिनांक–14.09.2023 (गुरूवार) को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय की अध्यक्षता में विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलो के कार्य प्रगति की जूम के माध्यम से की गई साप्ताहिक समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

दिनांक 14.09.2023 (गुरूवार) को निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय द्वारा सहायक निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप एवं जिलों के नोडल पदाधिकारी के साथ विशेष सर्वेक्षण संचालित जिलों के बन्दोबस्त पदाधिकारी, अपर समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त एवं सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0) के साथ जिलो के कार्य प्रगति की समीक्षा की गई।

समीक्षोपरान्त प्राप्त प्रतिवेदन एवं निदेश निम्नवत् है :–

1. बैठक में सर्वप्रथम जिलावार 2500 खेसरो से कम खेसरो वाले ग्रामों में वर्तमान प्रगति एवं अगस्त द्वितीय सप्ताह तथा सितम्बर के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कार्य की समीक्षा की गई। जिलावार प्रक्रमवार स्थिति निम्नवत पाई गई–

2500 खेसरा तक राजस्व ग्रामों की जिलावार प्रगति — 14-09-2023

SL. NO.	District	Mauza	प्रारूप प्रकाशन		खानापुरी		प्रपत्र 6 इंट्री		एल०पी०एम० लंबित	एल०पी०एम० वितरण के पश्चात् सुनवाई वाले राजस्व ग्राम		त्रिसीमाति के लिए लंबित लंबित राजस्व ग्राम		Map Updation के लिए लंबित राजस्व ग्राम	
			अगस्त द्वितीय सप्ताह	सितम्बर द्वितीय सप्ताह	अगस्त द्वितीय सप्ताह	सितम्बर द्वितीय सप्ताह	अगस्त द्वितीय सप्ताह	सितम्बर द्वितीय सप्ताह	सितम्बर द्वितीय सप्ताह	अगस्त द्वितीय सप्ताह	सितम्बर द्वितीय सप्ताह	अगस्त द्वितीय सप्ताह	सितम्बर द्वितीय सप्ताह	अगस्त द्वितीय सप्ताह	सितम्बर द्वितीय सप्ताह
			1	2	4	5	7	8	10	11	12	13	14	15	16
1	ARARIA	79	51	61	0	0	2	1	0	23	10	1	0	1	6
2	ARWAL	166	40	44	2	0	34	22	7	67	84	0	0	0	9
3	BANKA	168	108	108	1	0	10	5	6	45	46	0	3	0	1
4	BEGUSARAI	299	188	206	23	21	13	5	10	38	21	1	8	6	13
5	JAMUI	69	34	34	2	2	8	1	7	18	21	0	4	0	0
6	JEHANABAD	159	61	76	0	0	15	10	11	63	62	0	0	0	0
7	KATIHAR	116	71	72	0	0	0	0	4	12	33	0	7	1	0
8	KHAGARIA	78	22	27	1	1	12	8	1	41	38	1	3	0	0
9	KISHANGANJ	284	57	62	115	75	38	72	16	54	56	4	3	1	0
10	LAKHISARAI	243	106	114	14	4	37	36	20	43	47	0	10	1	9
11	MADHEPURA	61	42	43	1	0	2	3	0	16	12	2	0	0	3
12	MUNGER	264	178	182	1	1	12	7	12	48	61	0	0	0	1
13	NALANDA	211	148	164	0	0	4	0	0	53	22	2	9	4	12
14	PURNIA	53	41	42	0	0	5	0	0	2	11	0	0	0	0
15	SAHARSA	42	21	21	6	1	3	6	0	10	14	0	0	0	0
16	SHEIKHPURA	160	146	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	SHEOHAR	29	22	27	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	2
18	SITAMARHI	90	41	41	9	0	9	0	0	40	46	0	1	0	2
19	SUPAUL	76	63	76	0	0	0	0	0	13	0	0	0	0	0
20	W. CHAMPARAN	153	102	112	2	1	12	5	12	15	20	0	1	2	2
	Total:-	2800	1542	1672	177	106	216	181	106	607	604	11	49	17	60

2. जिलावार 2500 से 5000 तक खेसरो से कम खेसरो वाले ग्रामों में वर्तमान प्रगति कार्य की समीक्षा की गई। जिलावार प्रक्रमवार स्थिति निम्नवत पाई गई–

2500 से 5000 खेसरा तक विशेष सर्वेक्षण प्रक्रमवार राजस्व ग्रामों की स्थिति — दिनांक- 14.09.2023

क्र0 सं0	जिला	कुल राजस्व ग्राम	प्रारूप प्रकाशन	अवशेष	खानापुरी			प्रपत्र . 6 इन्ट्री प्रक्रियाधीन ग्रामों की संख्या	एल0पी0एम0		सुनवाई		अभ्युक्ति
					ऐसे राजस्व ग्राम जहां खानापुरी शुरू नहीं हुआ	खानापुरी कार्य चल रहा है।	खानापुरी पूर्ण परंतु प्रपत्र 6 इन्ट्री शुरू नहीं हुआ है।		एल0पी0एम0 लंबित	एल0पी0एम0 वितरित	राजस्व ग्राम जहाँ सुनवाई चल रही है।	सुनवाई पूर्ण राजस्व ग्रामों की संख्या	
1	अररिया	32	0	32	0	12	0	12	2	0	3	3	01 मौजा का खानापुरी पर्चा वितरण किया जा चुका है।
2	अरवल	71	0	71	17	18	13	12	6	5	5	0	
3	बांका	57	4	55	1	30	2	8	2	0	9	1	2500 तक खेसरा वाले कुल राजस्व ग्रामों की संख्या 62 है परंतु 3 राजस्व ग्राम का CS नक्शा उपलब्ध नहीं के कारण 57 राजस्व ग्राम में कार्य प्रारंभ किया जाना है।
4	बेगूसराय	65	0	65	13	40	0	0	9	3	3	0	
5	जमुई	30	0	30	0	14	0	6	6	0	4	0	
6	जहानाबाद	56	0	56	0	16	4	26	8	0	2	0	
7	कटिहार	34	0	34	0	0	0	15	19	0	0	0	
8	खगडिया	46	0	46	1	23	0	17	1	2	1	0	22 राजस्व ग्राम का खानापुरी पूर्ण 6 राजस्व ग्राम प्रपत्र 6 इन्टी पूर्ण
9	किशनगंज	97	0	97	62	35	11	2	0	0	0	0	
10	लखीसराय	86	0	86	15	55	0	14	2	0	0	0	
11	मधेपुरा	15	0	15	0	7	4	6	0	0	1	0	
12	मुंगेर	33	1	32	0	4	1	15	4	0	8	0	
13	नालंदा	103	8	95	2	42	0	19	3	29	14	15	02 राजस्व ग्राम का सी0एस0 मानचित्र अनुपलब्ध
14	पूर्णियाँ	6	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0	सभी 06 राजस्व ग्राम में प्रपत्र-06 की प्रविष्टि प्रारंभ है।

15	सहरसा	44	0	44	9	16	0	8	2	9	0	0	
16	शेखपुरा	64	35	29	0	0	0	7	0	0	8	14	
17	शिवहर	28	0	28	0	10	0	9	4	4	1	0	
18	सीतामढी	106	0	106	44	10	12	30	5	0	5	0	खानापुरी स्थगित 4 प्रपत्र 6 स्थगित 2
19	सुपौल	64	17	47	15	4	3	8	4	0	13	0	
20	प0 चम्पारण	63	1	62	10	15	10	17	5	1	5	0	10 राजस्व ग्राम में याद्दाश्त लेखन कार्य जारी है।
	कुल	1100	66	1036	189	351	60	237	82	53	82	33	

समीक्षात्मक बैठक में विगत एक पक्ष में हुई जिलास्तरीय प्रगति के प्रति असंतोषजनक व्यक्त करते हुए निदेशित किया गया कि प्रक्रमवार किए जा रहे कार्यों विशेषतः खानापुरी एवं सुनवाई प्रक्रम में कार्यों के निष्पादन में तेजी जाए जाने की आवश्यकता है। जिलास्तरीय प्रगति के आलोक में प्राप्त प्रतिवेदन और समीक्षोपरान्त दिए गए निदेश निम्नवत् हैः—

(i) अररिया जिले की समीक्षा में पाया गया कि साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन में ग्रामवार प्रपत्र—6 की प्रविष्टि के प्रारंभ करने की तिथि को प्रतिवेदन से विलोपित कर दिया गया है और किसी भी ग्राम में प्रपत्र—6 में प्रविष्टि प्रारंभ होने की तिथि संधारित नहीं की गई है। उक्त कॉलम की प्रविष्टि नहीं किए जाने से प्रपत्र—6 की प्रविष्टि में लगने वाली अवधि का समीक्षा नहीं की जा सकी। राजस्व पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) के द्वारा भूलवश पुराने प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रेषित हो गया है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि अनेक ग्रामों में एक भी आपत्ति का निष्पादन नहीं किया गया है। बन्दोबस्त पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि एक शिविर अन्तर्गत कई ग्रामों की सुनवाई एक साथ होने के कारण कुछ ग्रामों में एक भी दावा/आपत्ति का निष्पादन नहीं किया जा सका है।

निदेशित किया गया कि अररिया के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) से प्रतिवेदन में त्रुटि के लिए कारण—पृच्छा की जाए एवं साप्ताहिक प्रतिवेदन में प्रक्रमवार कार्य प्रारंभ होने की तिथि निश्चित रूप से अंकित की जाए। साथ ही निदेशालय के पत्रांक—5966 दिनांक—25.07.2023 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(ii) अरवल जिले की समीक्षा में पाया गया कि साप्ताहिक प्रगति प्रतिवेदन में प्रपत्र—6 की प्रविष्टि कार्य को आरंभ करने की तिथि को संधारित नहीं किया गया है एवं जिला स्तर पर प्रपत्र—6 की इन्ट्री सम्बन्धी कार्यों के सही ढंग से अनुश्रवण नहीं किए जाने के कारण जिला स्तर पर प्रपत्र—6 में इन्ट्री का कार्य काफी धीमी गति से हो रहा है एवं प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिला स्तर पर औसतन प्रतिदिन 25 से 30 प्रविष्टियाँ ही की जा रही हैं। समीक्षा में यह भी पाया गया कि जिन ग्रामों में सुनवाई का कार्य चल रहा है, उनमें प्रतिदिन 4 से 5 ज्यादा आपत्तियों का निष्पादन नहीं किया जा रहा है एवं सुनवाई की प्रक्रिया का अनुश्रवण सही ढंग से नहीं किया जा रहा है।

निदेशित किया गया कि अरवल के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) से स्पष्टीकरण करते हुए उनके कार्यों की प्रगति को देखते हुए बन्दोबस्त पदाधिकारी, अरवल को उनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराने का पत्र दिया जाए।

(iii) बांका एवं बेगूसराय की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिन राजस्व ग्रामों में सुनवाई का कार्य चल रहा है, उनमें प्राप्त दावा/आपत्तियों में सभी दावा/आपत्तियाँ के निष्पादन के स्थान पर कुछ संख्या में दावा/आपत्तियाँ को लम्बित रखा जा रहा है। समीक्षा में स्पष्ट हुआ है कि जिन ग्रामों में दावा/आपत्तियाँ की संख्या–10 से कम हैं, वहाँ भी सभी दावा/आपत्तियाँ का निष्पादन नहीं किया जा रहा है। बेगूसराय की समीक्षा में पाया गया कि प्रतिदिन खानापुरी किए जाने वाले खेसरों की संख्या औसतन 20–25 से ज्यादा नहीं है। समीक्षा में यह भी पाया गया कि अनेक वादों में कानूनगो के स्तर से अनावश्यक रूप से अमीन से प्रतिवेदन की मांग की जाती है, जिस कारण कार्य निष्पादन में बिलम्ब होता है, साथ ही प्राप्त दावा/आपत्तियाँ एवं आदेशों को सॉफ्टवेयर में अपलोड भी नहीं किया जा रहा है।

निदेशित किया गया कि जिन सुनवाई की प्रक्रिया में प्रत्येक ग्राम में कुछ–कुछ वादों के निष्पादन के स्थान पर ग्रामवार सुनवाई का कार्य पूर्ण किया जाए ताकि निर्धारित लक्ष्य के अनुसार प्रारूप एवं अंतिम अधिकार अभिलेख का प्रकाशन किया जा सके।

(iv) जहानाबाद की समीक्षा में पाया गया कि जिन ग्रामों में सुनवाई हो रही है, उनकी प्रगति नगण्य है एवं प्रपत्र–6 की इंट्री में भी प्रतिदिन प्रविष्टि किए जाने का औसत 20 से 25 इंट्री की गई है। समीक्षा में स्पष्ट हुआ कि विगत कई समीक्षात्मक बैठकों में दिए गए निरंतर निदेशों तथा अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा राज्यस्तरीय समीक्षात्मक बैठक में किए गए निर्धारित लक्ष्य एवं निदेश के बावजूद जहानाबाद के विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं है और सितम्बर, 2023 के द्वितीय सप्ताह तक 2500 खेसरों वाले कुल 159 राजस्व ग्रामों में से मात्र 76 का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया गया है एवं एक भी ग्राम का अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित नहीं किया गया है। 2500 खेसरों से अधिक वाले राजस्व ग्रामों में भी मात्र 56 ग्रामों में से मात्र 2 ग्राम में सुनवाई प्रारंभ की गई हैं और एक भी ग्राम का प्रारूप अधिकार अभिलेख प्रकाशित नहीं किया गया है।

निदेशित किया गया कि बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद से स्पष्टीकरण करते हुए अगले आदेश तक उनका वेतन स्थगित रखा जाए तथा जहानाबाद में विगत् 02 वर्षों में हुई विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्य की प्रगति एवं निरंतर निदेश के बावजूद भी कार्य में शिथिलता बरतने के लिए बन्दोबस्त पदाधिकारी, जहानाबाद के खिलाफ आरोप उपलब्ध तैयार कर सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए।

(v) कटिहार एवं खगड़िया की समीक्षा में बताया गया कि कटिहार जिला अर्न्तगत 2500 खेसरों से कम वाले लगभग सभी (167 में से 165 में) राजस्व ग्रामों में खानापुरी का कार्य पूर्ण किया जा चूका है, लेकिन मात्र 112 राजस्व ग्रामों में खानापुरी पर्चा वितरित किया गया है। खगड़िया में पाया गया कि कुल 155 राजस्व ग्रामों में से सिर्फ 69 राजस्व ग्रामों खानापुरी पर्चा वितरित किया गया है।

निदेशित किया गया है कि कटिहार में जिन राजस्व ग्रामों में सुनवाई का कार्य चल रहा है उनसे संबंधित दावा–आपत्ति एवं आदेश की अपलोडिंग की संबंधी कार्रवाई की समीक्षा निदेशालय के आई सेल द्वारा की जाए। खगड़िया से संबंधित समीक्षा के आधार पर निदेशित किया गया कि सुनवाई की प्रक्रिया में जिन कानूनगों एवं स0ब0प0 द्वारा पूर्व से पारित आदेशों में जानबुझ कर परिवर्तन किया जा रहा तो वैसे कर्मियों के विरूद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए। साथ ही यह भी निदेशित किया गया कि सुनवाई संबंधी कार्यो में तेजी लाई जाए एवं लक्ष्य के अनुसार प्रारूप प्राधिकार अधिकार अभिलेख का प्रकाशन सुनिश्चित किया जाए।

(vi) किशनगंज जिले के समीक्षा में पाया गया कि निरंतर निदेशो के बावजूद कार्य में प्रगति संतोषजनक नहीं है एवं जिले के कुल 460 ग्रामों में से मात्र 62 का प्रारूप एवं 03 का अंतिम अधिकार अभिलेख प्रकाशित किया गया है। सहायक निदेशक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उनके द्वारा विगत सप्ताह में किये गये किशनगंज भ्रमण के क्रम में कार्य में तेजी लाने के लिए सभी विशेष सर्वेक्षण कर्मियों को स्पष्ट निदेश एवं चेतावनी दी गई एवं लापरवाह कर्मियों की संविदा समाप्ति की अनुशंसा की गई है।

निदेशित किया गया कि समाहर्त्ता, किशनगंज को विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यो के सततः अनुश्रवण करने एवं विशेष सर्वेक्षण एवं बन्दोबस्त कार्यो में तेजी लाने हेतु सभी उपाय किये जाने के लिए अनुरोध पत्र दिया जाए।

(vii) लखीसराय जिले की समीक्षा में पाया गया कि विगत एक सप्ताह में तुलनात्मक रूप से बहुत कम प्रगति हुई है एवं 2500 खेसरों से कम वाले राजस्व ग्रामों में 47 राजस्व ग्रामों में सुनवाई चल रही है एवं सुनवाई की प्रक्रिया में प्रतिदिन औसतन 10 आपत्तियों का निष्पादन नहीं किया जा रहा है।

निदेशित किया गया है कि लखीसराय की कार्य प्रगति को देखते हुए लखीसराय के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) से स्पष्टीकरण प्राप्त किया जाए एवं अगले आदेश तक उनका वेतन स्थगित रखा जाए।

(viii) मधेपुरा, मुंगेर, नालंदा, पूर्णियाँ, सहरसा, शिवहर सीतामढ़ी, सुपौल एवं पश्चिम चम्पारण की समीक्षा में पाया गया कि प्रपत्र–6 की प्रविष्टि बहुत धीमी गति से हो रही है। इसी क्रम में सहरसा के सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (मु0) द्वारा ग्राम लटुआपट्टी के प्रपत्र–6 के प्रविष्टि के संबंध में आश्वासन दिया गया कि शेष बचे हुए 350 खेसरों

की प्रविष्टि 18.09.2023 तक पूर्ण कर ली जायेगी। सुपौल एवं शेखपुरा के समीक्षा में पाया गया कि 2500 खेसरों तक वाले राजस्व ग्रामों में प्रारूप अधिकार अभिलेख के प्रकाशन का कार्य पूर्ण हो गया है।

निदेशित किया गया है कि जिन राजस्व ग्राम में सुनवाई का कार्य किया जा रहा है उनमें दावा–आपत्ति एवं आदेशों की अपलोडिंग करने पर ध्यान दिया जाए। प्रपत्र–6 के प्रविष्टि की प्रतिदिन समीक्षा की जाए। सुपौल एवं शेखपुरा को निदेशित किया गया की 2500 से अधिक खेसरों वाले राजस्व ग्रामों में एक अधिक अमीन को संबंद्ध कर प्रक्रमवार कार्यो का निष्पादन तेजी किया जाए।

अंत में सधन्यवाद बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

निदेशक 8/9/23
भू–अभिलेख एवं परिमाप
बिहार, पटना

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0–12/2023 8137 पटना, दिनांक 26/09/2023

प्रतिलिपि : समाहर्त्ता–सह–बन्दोबस्त पदाधिकारी, किशनगंज/बन्दोबस्त पदाधिकारी, अररिया/अरवल/बांका/बेगूसराय/जमुई/जहानाबाद/कटिहार/खगड़िया/लखीसराय/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/पूर्णिया/सहरसा/शेखपुरा/शिवहर/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0–12/2023 8137 पटना, दिनांक 26/09/2023

प्रतिलिपि : भूमि सुधार उप समाहर्त्ता–सह–प्रभारी पदाधिकारी/सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी(मु0)/किशनगंज/अररिया/अरवल/बांका/बेगूसराय/जमुई/जहानाबाद/कटिहार/खगड़िया/किशनगंज/लखीसराय/मधेपुरा/मुंगेर/नालंदा/पूर्णिया/सहरसा/शेखपुरा/शिवहर/सीतामढ़ी/सुपौल/प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0–12/2023 8137 पटना, दिनांक 26/09/2023

प्रतिलिपि : हवाई सर्वेक्षण एजेंसी, ARAHAS Technology Pvt. Ltd. (Indo Enviro Integrated Solution Limited (IL&FS)), GISC, IIC को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03/भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0–12/2023 8137 पटना, दिनांक 26/09/2023

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी/संबंधित जिले के नोडल पदाधिकारी/स्थापना सहायक/क्षेत्रीय स्थापना सहायक/प्रभारी, आई0टी0 सेल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0–12 / 2023......8137......पटना, दिनांक......26/09/2023......

प्रतिलिपि : सुश्री सरिता कुमारी, प्रोग्रामर को बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0–12 / 2023......8137......पटना, दिनांक......26/09/2023......

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

ज्ञापांक : 03 / भू0अ0नि0(04)वि0सर्वे0–12 / 2023......8137......पटना, दिनांक......26/09/2023......

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू–अभिलेख एवं परिमाप

25/9/23